अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग प्रभाग आदेश सं0–...583.../2023

बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञापांक–9615, दिनांक–12.11.2018 से निर्गत संकल्प एवं वित्त विभाग का ज्ञापांक–3590, दिनांक–24.05.2017 से निर्गत संकल्प के आलोक में अपराध अनुसंधान विभाग आदेश सं0–641/18–सह–पठित ज्ञापांक–1430 दिनांक 23.05.2018 के अनुसार हव0 बिनोद कुमार मंडल एवं चा0 हव0 रमेश नाथ चौधरी का वेतन निर्धारण करते हुए भुगतान किये गये अधिक राशि की माहवार कटौती की जा रही थी।

उपरोक्त कटौती के विरोध में हवलदार बिनोद कुमार मंडल एवं चा0हव0 रमेश नाथ चौधरी द्वारा भुगतान किये गये अधिक राशि की कटौती के विरूद्ध उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 896/2023 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है कि :–

" It is the specific case of the petitioners that their cases are covered by the Judgment of this Court in the case of Haseeb Ahmad Khan Vs. the state of Bihar and Others (CWJC No. 10220 of 2021) wherein this Court has taken a view from the admission of the State that the case would be covered by the earlier decision rendered in CWJC No. 10220 of 2021 dated 22-02-2022.

Learned counsel for the petitioners further submits that in the case of Ali Asgar Khan Vs. the state of Bihar and Others (CWJC No. 751 of 2023) and Nagendra kumar singh and Another Vs. the state of Bihar and Others (CWJC No. 209 of 2023), this Court had occasion to consider identical matters and after considering those cases, this Court set aside the impugned orders by which recovery has been ordered insofar as the orders relate to the petitioners of the said case and directed that no recovery shall be made from the petitioners.

Learned counsel for the State submits that these petitioners have filed a representation (Annexure'4') in which they have pleaded for similar treatment in the light of the Judgment of this Court in the case of Haseeb Ahmad Khan. It is submitted that the representation (Annexure'4' of the petition) shall be considered within a reasonable period and an appropriate decision shall be taken thereon keeping in view the litigation policy of the State.

सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 10220/2021 हसीब अहमद खाँ बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना का आदेश निम्नवत है, जिसे इस मामले के निष्पादन में भी वर्णित किया गया है:–

" In the light of these facts and circumstances, order dated 12.11.2018 (Anneuxure-2) stands set aside. Accordingly, the present petition stands allowed reserving liberty to the respondents to initiate a fresh proceedings in accordance

with law after giving ample opportunity of hearing to the petitioner. The above exercise shall be completed within a period of three months from the date of receipt of this order. **If any recovery is effected, the same shall be refunded to the petitioner forthwith."**

1. उपरोक्त न्यायादेश के आलोक में चालक हवलदार रमेश नाथ चौधरी का वेतन से अपराध अनुसंधान विभाग, आदेश सं0–641/18–सह–पठित ज्ञापांक–1430 दिनांक 23.05.2018 के आलोक में की गई कटौती राशि को तत्काल उनके वेतन खाते में वापस करने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार लेखा प्रभारी, अप0अनु0विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

2. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित सिर्फ इसी मामले के लिए लागू है। यह पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।

3. यह आदेश इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किये गये एल0पी0ए0 नं0–16279/2022, दिनांक–26.08.2022 के फलाफल से प्रभावित होगा।

इस पर अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

21/8/23

पुलिस अधीक्षक(सी0)
अपराध अनुसंधान विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक–र0का0/01/2023 1772

बिहार पुलिस मुख्यालय

(अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमज़ोर वर्ग प्रभाग)

पटना, दिनांक–22.08.2023

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी, लेखा शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
2. र0पु0नि0 (द्वितीय) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
3. प्रभारी संकेत/से0पु0/पेंशन शाखा/आर0एम0एस0, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
4. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
5. संबंधित चालक हवलदार रमेश नाथ चौधरी को सूचनार्थ।

21/8/23

पुलिस अधीक्षक(सी0)
अपराध अनुसंधान विभाग
बिहार, पटना